


113



निस्संधान - 0528/2019/इन्दौर/भू०६१७

आ. 203/PBR/14  
दिनांक 16/4/2019

रा.रा. अभिमान आश्रय मछोदपुर, राजलक्ष्मी ग्राम, इन्दौर (म.प्र.)

पुगाती डवलवरी → इपीलापर/पुगी

विवाद

अभियोग के अन्तर्गत संपत्ति सिद्ध व अन्य → रिहायेशेखार

आवेदन पत्र क्रमांक 35(3) भू राजलक्ष्मी

मछोदपुर,  
शहर प्रकल्प में इपीलापर तर्फे शहर विवेक

है कि -

- 1) यह कि शहर प्रकल्प मानवीय न्यायालय के अन्तर्गत विचारणीय होकर लिया है।
- 2) यह कि राजशिमकु को सुदूर में उपस्थित था भूरे अन्य प्रकल्प भी चले हुए हैं उक्त प्रकल्प की लक्ष्मी काईल नहीं मिल जाने के कारण राजशिमकु को उक्त प्रकल्प अरम पैरवी में लिखकर भेजा है।

3) यह कि उक्त आवेदन पत्र शिमकु को भूरे पेटरी लिखकर लक्ष्मी काईल के अन्तर्गत आवेदन पत्र अदालत प्रकल्प भेजा है।  
अतः मानवीय न्यायालय से विवेक है कि

उक्त आवेदन पत्र स्वयं लिख पाकर उक्त शिमकु की अरम पैरवी लिख कर भेजा है।  
यही विवेक है।

दिनांक 16/04/2019

पुस्तकालय  
इपीलापर तर्फे इ.पि.  
इ.पि.



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आदेश पृष्ठ  
भाग अ

955

3

राजस्व मंडल का प्रकरण क्रमांक: ....पुनस्थापन -0528/2019/इंदौर/भू-रा.....

तहसील: .....

जिला: ....इंदौर....

पुन/पुनर्विलोकन में राजस्व मंडल का प्रकरण : .....

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक: ....

कलेक्टर के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक: .....

अनुविभागीय पदाधिकारी का प्रकरण क्रमांक : .....

तहसील का प्रकरण क्रमांक: .....

यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो : ....R-203/PBR/14,....

वाद का विषय: ....पुनस्थापन ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अंतर्गत प्रकरण

.....म.प्र.भू.रा.संहिता.....  
यहाँ प्रस्तुत हुआ है :

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला....इंदौर.... । .....के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक : ...16/04/2019... के विरुद्ध ...प्रगति डेवलपर्स...।...संदीप सिंह व अन्य..।..... के अभिभाषक द्वारा पुनस्थापन - पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।</p> <p>प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक ...21/05/2019...है   जिसकी सूचना आपको एस.एम.एस. से दी जा चुकी है।</p> <p>आवेदक पक्ष की ओर से श्री अनिल कुमार मखन अभिभाषक उपस्थित। उन्हें पुनस्थापन आवेदक पत्र पर पुन गणना प्रकरण क्रमांक R 230-PBR/15 न्याय दिये गये सुनवाई हेतु पुनः मखन पर लिखा गया पत्र प्रकरण समाप्त विधा जाते हैं।</p>	

21-5-2019  
Rin

अ.प्र.भू.रा.संहिता

अ.प्र.भू.रा.संहिता